क्रम-संख्या—79

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस0एस0पी0/एल0—
डब्लू0/एन0पी0—91/2008—10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 16 फरवरी, 2008

माघ 27, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 362/79-वि-1-08-1 (क)-5-2008

लखनऊ, 16 फरवरी, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 15 फरवरी, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 में धारा 20 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 20 में प्रतिबन्धात्मक खण्ड में--

(क) खण्ड (कक) में उपखण्ड (iii) निकाल दिया जायेगा।

(ख) खण्ड (कक) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:--

"(ककक) किसी व्यक्ति को, जो केवल जमा करने के लिए किसी प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति का सदस्य बनता है और उसने समिति से कोई ऋण व्यवसाय नहीं किया है, मतदान का अधिकार तभी होगा यदि उसने अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिये नियत दिनांक से पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के लिये समिति में कम से कम एक हजार रुपये जमा धनराशि अनुरक्षित किया हो।"

धारा 29 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 29 में उपधारा (7) में, शब्द "छः माह" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "एक वर्ष और छः माह" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 20 अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे जमाकर्ता को मतदान का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था करती है जिसने मतदाता सूची के प्रकाशन के लिये नियत दिनांक के पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के लिये कम से कम एक हजार रुपये की जमा धनराशि अनुरक्षित की है। यह उपबन्ध सभी प्रकार की समितियों के सदस्यों पर लागू हैं। यह उपबन्ध भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन के आधार पर उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा उक्त अधिनियम में संशोधन करके किया गया है। उक्त ज्ञापन के उपबन्ध के अनुसार उक्त उपबन्ध प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति के सदस्यों पर ही लागू होगा। अतएव, 1965 के उक्त अधिनियम को उक्त प्रयोजन से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (7) में यह व्यवस्था है कि किसी सहकारी समिति का प्रशासक, प्रबन्ध समिति के पुनर्गठन की, यथाशाक्य शीघ्र, परन्तु छः माह की समाप्ति के पश्चात् नहीं, व्यवस्था करेगा। चूंकि यह अवधि 5 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली है और मुकदमेबाजी के कारण दिनांक 5 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन किया जाना सम्भव नहीं है। अतएव, उक्त अवधि को छः माह से बढ़ाकर एक वर्ष और छः माह करने के लिये 1965 के उक्त अधिनियम का अग्रतर संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै० मजहर अब्बास आब्दी
प्रमुख सचिव।

No. 362(2)/LXXIX-V-1–08-1(ka)-5-2008

Dated Lucknow, February 16, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 15, 2008.

THE UTTAR PRADESH COOPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. Act no. 3 of 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Cooperative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Cooperative Societies (Amendment) Act, 2008.

Amendment of section 20 of U.P. Act no. 11 of 1966

2. In section 20 of the Uttar Pradesh Cooperative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as principal Act, in the proviso–

(a) in clause *(aa)* sub-clause (iii) shall be *omitted*;

(b) after clause *(aa)* the following clause shall be *inserted,* namely :–

"*(aaa)* A person who becomes member of a Primary Cooperative Credit Society for making deposit only and has not done any credit business with the society, he shall have right to vote if he has maintained a deposit of at least rupees one thousand in the society for a period of two years preceding the date fixed for publication of the provisional voter list."

Amendment of section 29

3. In section 29 of the principal Act, in sub-section (7) *for* the words "six months" wherever occurring the words "one year and six months" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 20 of the Uttar Pradesh Cooperative Societies Act, 1965 *inter alia* provides for giving voting rights to a depositor who has maintained a deposit of atleast rupees one thousand for a period of two years preceding the date fixed for publication of voter list. This provision is applicable to the members of all types of societies. This provision was made by amending the said Act by the Uttar Pradesh Cooperative Societies (Third Amendment) Act, 2007 on the basis of Memorandum of Understanding signed between the Government of India, National Bank for Agriculture and Rural Development and the State Government. According to the provisions of the said memorandum, the said provision should be applicable only to the members of Primary Cooperative Credit Societies. It has, therefore, been decided to amend the said Act of 1965 for the said purpose.

Sub-section (7) of section 29 of the said Act provides that the administrator of a cooperative society shall arrange for the reconstitution of the Committee of Management as soon as but not later than the expiry of six months. Since this period is to expire on March 5, 2008 and due to litigations it has not been possible to reconstitute the Committee of Management on or before March 5, 2008. It has, therefore, been decided further to amend the said Act of 1965 to extend the said period from six months to one year and six months.

The Uttar Pradesh Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 1104 राजपत्र (हि०)–2008–(2423)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 431 सा० विधा०–2008–(2424)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।